कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :–

दिनांक :–

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 को सांय 6.00 बजे श्री गौरव गोयल आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में 90–बी नियमन के संबंध मे बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्री ताराचन्द मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. श्री सुरेश नवल, उपायुक्त पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्री मगनलाल योगी, उपायुक्त पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. श्री नरेन्द्र कुमार दवे, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. श्री धनसिंह राठौड़ तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी उपायुक्त से उनके क्षेत्र में लम्बित 90–बी के प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श किया गया तथा कैम्पों के दौरान निष्पादित कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. राज्य सरकार एवं श्री जी. एस. संधु प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से शिविरों के लिए प्राप्त निर्देशों की पालना में नियमन/निस्तारण शिविरों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक जोन में जो भी आवेदन/प्रार्थना पत्र 90–बी व नियमन/पट्टे के लिए लम्बित है, उनका शिविर अवधि में ही निस्तारण करने के प्रयास किये जावें।

2. उपायुक्तों के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आई प्रत्येक कॉलोनी/योजना के विशेष शिविर आयोजित करने में बहुत अधिक समय लगने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया कि शिविर अवधि के लिए प्राप्त निर्देशों में शिथिलता को उपयोग में लेते हुए जिन कॉलोनियों/योजनाओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन नहीं किया गया हो, उनके संबंध मे कार्यालय दिवसों में शिविर अवधि में संबंधित उपायुक्त नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।

3. दिनांक 17.06.1999 के बाद अस्तित्व में आई कॉलोनी/योजनाओं में भी 90–बी एव नियमन संबंधी कार्यो का निस्तारण राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम निर्देशों अनुसार संबंधित उपायुक्तों द्वारा सम्पन्न किया जावे। प्रत्येक उपायुक्त के स्तर पर यह प्रयास किये जावे कि अधिक से अधिक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण एव ले–आऊट प्लान

की स्वीकृति शिविर अवधि में की जावें। पट्टा जारी करने का कोई प्रकरण अवशेष नहीं रहे इसका विशेष ध्यान रखा जावें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक :- F/45/90B/... /09/122 दिनांक :- 16/10/09

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. उपायुक्त उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. तहसीलदार, उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर